18 जनवरी, 2013 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 56वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 56.1 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा ग्राम ड्रुब, तालुक मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड (एमयूपीएल) का अनुरोध

उपर्युक्त एफटीडब्ल्यूजेड 168.41 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 26 **मार्च** 2012 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड** (**एमयूपीएल**) **जो एपीएसईजेडएल की सहायक कंपनी है**, **ने विद्युत**, **गैस**, **पानी**, **निस्सारी शोधन संयंत्र**, **सीवेज आदि जैसी अवसंरचना सुविधाएं** / **यूटिलिटीज प्रदान करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है** (**अनुबंध** 1)**।**

एमयूपीएल ने एपीएसईजेडएल के साथ करार दिनांक 21 **जून** 2012 **किया है जिसके माध्यम से एपीएसईजेडएल ने उक्त एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के रूप में कुछ अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए एमयूपीएल को अधिकृत किया है। करार से यह देखा गया है कि** :

(i) **विकास एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्र के लिए है।**

(ii) **विकासक और एमयूपीएल के बीच यथा सहमत शर्तों एवं प्रसंविदाओं के अनुसरण में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एफटीडब्ल्यूजेड में** 168.41 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पट्टा** / **उप पट्टा पर एमयूपीएल को मार्गाधिकार**, **अपेक्षित होने पर मौजूदा सुविधाओं का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करेगा तथा एमयूपीएल ऐसा अधिकार प्राप्त करेगा। विकासक और एमयूपीएल इस प्रयोजनार्थ अलग करार करेंगे।**

विकास आयुक्त, **केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।**

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) पानोली, अंकलेश्वर के पास, जिला भड़ूच, गुजरात में मैसर्स एचबीएस फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फार्मास्युटिकल के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एचबीएस सिटी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (पूर्व में जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड) का अनुरोध

125.04.94 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 9 **जनवरी**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था।**

मैसर्स एचबीएस सिटी प्राइवेट लिमिटेड, **मुंबई ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी अधिकृत प्रचालनों जो विकासक को वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक** 24 **नवंबर** 2010 **के माध्यम से अनुमोदित किए गए थे**, **अर्थात अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने**, **आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों का निर्माण करने**, **शैक्षिक संस्था**, **स्वास्थ्य देखरेख**, **बैंक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है** (**अनुबंध** 2)**।**

विकास आयुक्त, **केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।**

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 56.2 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) जामनगर, गुजरात में बहु उत्पाद्द एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

1764.14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने 728.43 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1035.72 हेक्टेयर हो जाएगा और वे बहु उत्पाद्द एसईजेड के रूप में पात्र बने रहेंगे।

विकासक ने एसईजेड के निकट जामनगर में घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में अनेक नई परियोजनाओं को लागू करने के लिए आंशिक विमुक्तीकरण के लिए आवेदन किया है। प्रस्तावित परियोजनाओं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण मौजूदा घरेलू मांग / आवश्यकता को पूरा करेंगी। उपर्युक्त क्षेत्र के विमुक्तीकरण के बाद इन परियोजनाओं में प्रस्तावित निवेश 45000 करोड़ रुपए होगा।

विकास आयुक्त, रिलायंस एसईजेड ने प्राप्त किए गए सभी लाभों को वापस करने के अधीन विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) नेलीकोड एवं पंतिरांकावु गांव, कोझीकोड, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआई लिमिटेड) का अनुरोध

10.1210 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 27 मई, 2011 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने 1.5637 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए अनुरोध किया है जिससे कुल क्षेत्रफल 11.6847 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक के लिए कारण इस प्रकार से हैं :

इस समय 1.5637 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि पर केएसआईटीआईएल का कब्जा है, जो 10.1210 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पहले से अधिसूचित एसईजेड से संस्पर्शी है। इस भूमि की वृद्धि से मौजूदा एसईजेड को लाभ होगा क्योंकि आईटी अवसंरचना तथा प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए अधिक स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

एसईजेड में शामिल किया जाने वाला क्षेत्रफल एसईजेड के क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत से अधिक है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में आवंटित किए गए स्थान में वृद्धि के लिए मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स पेरोट सिस्टम्स टीएसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का अनुरोध

मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स पेरोट सिस्टम्स टीएसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को एलओए दिनांक 12 अक्टूबर 2007 के माध्यम से 2.9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना

सुविधाओं के विकास के लिए कोयंबटूर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था।
अब विकासक ने उपर्युक्त सह विकासक को 2 **सेंट का अतिरिक्त क्षेत्रफल प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है जिससे उसके प्रचालन के क्षेत्र में वृद्धि होगी। सह विकासक ने** 2 **सेंट का अतिरिक्त क्षेत्रफल लेने के लिए विकासक के साथ पट्टा करार दिनांक** 7 **सितंबर** 2009 **किया है। इस प्रकार एसईजेड में सह विकासक के प्रचालन का क्षेत्र मूलत: आवंटित** 2.91 **हेक्टेयर से बढ़कर** 2.92 **हेक्टेयर हो जाएगा।**

विकास आयुक्त, **एमईपीजेड ने यह नोट करने के बाद अपनी सिफारिश प्रदान की है कि यद्यपि मांगा गया अनुमोदन विलंब से मांगा गया अनुमोदन है परंतु सह विकासक को** 2 **सेंट का अतिरिक्त क्षेत्रफल पट्टा पर देने के लिए विकासक और सह विकासक के बीच पट्टा करार पहले ही किया गया है।**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने और पुष्टि करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 56.3 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम विलायत, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में 139-90-46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तेल एवं गैस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बंस एंड पावर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

139-90-46 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 23 **मार्च**, 2010 **को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने एसईजेड नीति में परिवर्तन - वादा किए गए राजकोषीय लाभों की वापसी अर्थात विकासक एवं एसईजेड यूनिटों पर मैट लगाए जाने तथा मार्च** 2014 **के बाद स्थापित यूनिटों के लिए आयकर लाभ के वापस लिए जाने आदि के कारण परियोजना के लाभप्रद न होने के आधार पर एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।**

विकास आयुक्त, **केएएसईजेड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत प्राप्त किए गए करों एवं लाभों को वापस करने की शर्त के अधीन अनुरोध की सिफारिश की है।**

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 56.4 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) कागल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को 104 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कागल**, **जिला कोल्हापुर**, **महाराष्ट्र में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए दिनांक** 5 **अप्रैल** 2006 **के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने औपचारिक मंजूरी को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि सह विकासक (विकासकों) के माध्यम से एसईजेड का विकास करने का प्रस्ताव है। तथापि**, **प्रत्यक्ष कर संहिता के लागू होने के कारण अवसंरचना विकासकों से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसलिए एमआईडीसी ने परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया है।**

विकास आयुक्त, **एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।**

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 56.5 : पांचवें एवं छठें साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 **सितंबर** 2012 **को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की** :

"**अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को** 5**वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"**

(i) आदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 03 फरवरी, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 4 **फरवरी**, 2008 **के माध्यम से** 30.35 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।** 30.35 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 4 **फरवरी**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि** 3 **फरवरी**, 2013 **तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने के लिए विकासक द्वारा प्रदान किया गया कारण यह है कि कतिपय भारग्रस्तता के मुद्दों के समाधान में विलंब हुआ (अनुबंध 3)**।**

विकासक ने चारदीवारी, **दो भवनों का निर्माण आदि सहित परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ होने की सूचना प्रदान की है।**

विकास आयुक्त, **वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) माहेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 **अक्टूबर**, 2006 **के माध्यम से** 28.33 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।** 28.33 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 18 **मई**, 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार**

प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 **अक्टूबर**, 2012 **तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने के लिए विकासक द्वारा प्रदान किया गया कारण यह है कि वित्त वर्ष 2009-10 **में वैश्विक स्तर पर मंदी की रुझान थी तथा वित्तीय क्रेडिट की तंगी के कारण परियोजना के कार्यान्वयन की गति धीमी पड़ गई। इसके अलावा विद्युत एवं जलापूर्ति, सड़क एवं रेल संपर्क आदि की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा अवसंरचना एवं परियोजना सहायता प्रदान नहीं किया गया है जिसकी वजह से परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ।**

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने 30 **सितंबर** 2012 **तक की स्थिति के अनुसार** 1 **भवन के लिए निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।** 30 **सितंबर** 2012 **तक की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त एसईजेड में** 1,26,443.52 **वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र का निर्माण कर लिया गया है तथा परियोजना के लिए किया गया वास्तविक सकल व्यय** 40.08 **करोड़ रुपए के आसपास है।**

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(i) केआर पुरम, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) चौथी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बैगमाने बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 **अक्टूबर**, 2006 **के माध्यम से** 15.5 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद**, 16 **सितंबर**, 2011 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को एसईजेड का क्षेत्रफल** 10.42 **हेक्टेयर कम करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब तक विकासक को तीन विस्तार प्रदान किया जा चुका है तथा तीसरा विस्तार** 25 **अक्टूबर** 2012 **तक प्रदान किया गया है। विकासक ने बाजार में मंदी तथा आर्थिक मंदी और एसईजेड विकासकों एवं एसईजेड यूनिटों के लिए प्रत्यक्ष कर संहिता में राजकोषीय लाभों के जारी रहने के संबंध में अनिश्चितता का हवाला देते हुए चौथी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब को नोट करने के बाद विकासक को विस्तृत चर्चा के लिए बुलाया तथा उसकी चर्चा को रिकार्ड किया (**अनुबंध** 4)**।**

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए चौथी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध की इस शर्त के साथ सिफारिश की है कि विकासक द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अंदर अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी तथा यह कि एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने पर विचार तभी किया जाएगा जब भूमि अधिसूचित हो जाएगी तथा बढ़ाई गई अवधि के अंदर परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि चौथी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) चौथी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 14 नवंबर, 2006 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 18.86858 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 13 नवंबर, 2012 तक वैध थी।

वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन करते समय विकासक ने सूचित किया है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं (अनुबंध 5) :

(i) 20.2907 हेक्टेयर के लिए पूर्ण फेंसिंग की गई है

(ii) साइट के निकट हुडा की 60 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड का निर्माण किया जा रहा है

(iii) 12 जून 2012 को यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा मास्टर प्लान अनुमोदित किया गया है

(iv) 14 अगस्त 2012 को यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा जोनिंग प्लान अनुमोदित किया गया है

(v) हरियाणा में राज्य समिति से पर्यावरणीय स्वीकृति लंबित है; नवंबर 2012 तक प्राप्त हो जाने की उम्मीद है।

(vi) अनुमोदन के लिए बिल्डिंग प्लान 12 सितंबर 2012 को प्रस्तुत किया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से एक साल की अवधि के लिए पुन: विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) रविरियाल गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टारगेज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 68.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 68.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 1 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 अक्टूबर, 2012 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने एसईजेड में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना में 158.50 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उन्होंने अपने एसईजेड में 1,01,736.70 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र के निर्माण की भी सूचना दी है तथा आशा व्यक्त की है कि मार्च 2013 तक कुछ क्लायंट प्राप्त हो जाएंगे।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) अलुवा तालुक, एर्नाकुलम में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 30.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 अक्टूबर, 2012 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने एसईजेड में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि उन्होंने अब तक परियोजना में 22.52 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड की अधिसूचना के लिए वाणिज्य विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने में विलंब को नोट किया है तथा इसे माफ करने का अनुरोध किया है। परियोजना में विकासक द्वारा किए गए निवेश को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि एसईजेड अधिसूचना की प्रक्रिया के अधीन है, विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने 25 अक्टूबर 2012 के बाद पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

25 अक्टूबर 2012 के बाद एक साल की अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने तथा विकासक के नाम में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 56.6 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स मुंबई फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक जोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में क्विप्पो इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट लिमिटेड)	250 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग	अलीबाग, रायगढ़, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 15 नवंबर, 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, एलओए दिनांक 29 जनवरी, 2010 के माध्यम से 15 नवंबर 2009 से नई सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद दो बार वैधता अवधि बढ़ाई गई जो 15 नवंबर 2012 को समाप्त हो गई है। विकासक 250 हेक्टेयर की भूमि में से 120 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर चुका है। विकासक ने एसईजेड परियोजना के वर्तमान स्तर के बारे में सूचना प्रदान करते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है (अनुबंध 6)। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

मद संख्या 56.7 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि चौथी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड	एमआरओ सहित एयरपोर्ट / एविएशन, 101.1714 हेक्टेयर	देंकरुकोट्टई तालुक, होसुर, तमिलनाडु	एलओए दिनांक 21 नवंबर, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाते समय अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया था कि विकासक ने 74.0859 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा 6-9 माह के अंदर शेष भूमि का अधिग्रहण हो जाने की उम्मीद है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाई थी कि एसईजेड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। तथापि, विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने चौथी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध को पुन: अग्रेषित किया है। उन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने 75.7045 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा 6-9 माह के अंदर शेष भूमि का अधिग्रहण हो जाने की उम्मीद है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त ने अनुरोध पर कोई टिप्पणी प्रदान नहीं की है।

मद संख्या 56.8 : 7वें वर्ष के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो जगतसिंहपुर जिला, उड़ीसा में 1630.496 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड का विकासक है तथा जिसे 26 अक्टूबर 2006 को एलओए प्रदान किया गया है, ने 7वें साल के लिए अपनी एसईजेड परियोजना की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

प्रस्ताव 23 नवंबर, 2012 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अब तक इस मुद्दे पर राज्य सरकार की राय प्राप्त नहीं हुई है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार के विचारों को ध्यान में रखने के बाद निर्णय लेने के लिए मामले को आस्थगित कर दिया।

अब राज्य सरकार ने इस शर्त के साथ प्रस्ताव की सिफारिश की है कि एसईजेड की स्थापना यथालागू विभिन्न कानूनों के तहत आवश्यक स्वीकृति के अधीन होगी।

तदनुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 56.9 : एक से चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 11 नवंबर, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए रवीरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा

विकसित किए जा रहे सेमी कंडक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स केएसके सूर्या फोटोवाल्टिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

फोटोवाल्टिक सेल के निर्माण के लिए एलओपी दिनांक 12 **नवंबर,** 2008 **के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स केएसके सूर्या फोटोवाल्टिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। विकास आयुक्त**, **वीएसईजेड के कार्यालय द्वारा यूनिट को दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा** 11 **नवंबर** 2012 **तक तीसरा विस्तार अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है। यूनिट ने** 11 **नवंबर**, 2012 **के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) **के अनुसरण में विकास आयुक्त ने** 3 **साल तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की। इसलिए वर्तमान प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए विकास आयुक्त**, **वीएसईजेड द्वारा अग्रेषित किया गया है।**

विकास आयुक्त, **वीएसईजेड मामले की जांच करने के बाद अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए इसकी सिफारिश की है** (**अनुबंध** 7)**।**

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 11 **नवंबर**, 2012 **के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

(ii) 22 दिसंबर, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए रविरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेमीकंडक्टर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स एंबेडेड आईटी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एंबेडेड आईटी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकंडक्टर के निर्माण तथा पीसीटी विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी दिनांक 23 **दिसंबर** 2008 **के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि** 22 **दिसंबर** 2012 **तक बढ़ाई थी। यूनिट ने एलओपी की वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) **के अनुसरण में विकास आयुक्त ने** 3 **साल तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की। इसलिए वर्तमान प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए विकास आयुक्त**, **वीएसईजेड द्वारा अग्रेषित किया गया है।**

विकास आयुक्त, **वीएसईजेड ने परियोजना की गतिविधियों की वर्तमान स्थिति** (**अनुबंध** 8) **को नोट करने के बाद** 22 **दिसंबर** 2013 **तक एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 27 मार्च, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अंजनी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड जो एपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 28 **मार्च**, 2008 **के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स अंजनी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद**, **यूनिट के अनुरोध पर विकास**

आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 27 मार्च, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) के अनुसरण में विकास आयुक्त ने 3 साल तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की। इसलिए वर्तमान प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए विकास आयुक्त, एपीएसईजेड द्वारा अग्रेषित किया गया है।

विकास आयुक्त, एपीएसईजेड ने मुद्दे की विस्तार से जांच की है तथा 27 मार्च 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अपनी सिफारिश प्रदान की है (अनुबंध 9)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) 22 जून 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स डायनमिक पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड जो इंजीनियरिंग के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 22 जून, 2009 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स डायनमिक पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 22 जून, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) के अनुसरण में विकास आयुक्त ने 3 साल तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की। इसलिए वर्तमान प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा अग्रेषित किया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने मुद्दे की विस्तार से जांच की है तथा 27 मार्च, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अपनी सिफारिश प्रदान की है (अनुबंध 10)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) 2 दिसंबर, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टोरेंट फर्मास्युटिकल्स (दाहेज) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 03 दिसंबर 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स टोरेंट फर्मास्युटिकल्स (दाहेज) को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 02 दिसंबर, 2012 तक बढ़ाई थी। अब यूनिट ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश करते समय सूचित किया है कि यूनिट ने अपने प्लाट पर अवसंरचना सुविधाओं को पूर्ण कर लिया है (साइट का फोटोग्राफ संलग्न है) (अनुबंध 11)।

एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) के अनुसरण में विकास आयुक्त ने 3 साल तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की। इसलिए वर्तमान प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए विकास आयुक्त, दाहेज द्वारा अग्रेषित किया गया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vi) मैसर्स त्रिशिराया रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने तथा उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड का प्रस्ताव

मैसर्स त्रिशिराया रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड को 22 मार्च 2003 से एसईजेड स्कीम में फेरस / गैर फेरस / इलेक्ट्रिकल तथा अन्य स्क्रैप की रिसाकलिंग के लिए एलओपी दिनांक 4 अप्रैल 2000 के माध्यम से यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। उनकी 5 साल की दूसरी अवधि 31 दिसंबर 2012 को समाप्त हो गई है। अब यूनिट ने अगले 5 साल की अवधि के लिए अर्थात 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक एसईजेड के अपने स्टेटस के नवीकरण के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संस्तुत निर्यात की मदों के लिए अपनी क्षमता को वर्तमान 1500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 4500 मीट्रिक टन करने के लिए भी अनुरोध किया है।

एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड द्वारा वर्तमान प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यूनिट के निष्पादन का ब्यौरा प्रदान किया है (अनुबंध 12)। सिफारिश की गई है कि चूंकि यूनिट रिसाकलिंग का कार्य कर रही है, इसलिए यूनिट के दोनों अनुरोधों को विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि को बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड का प्रस्ताव

प्रोसेस्ड गारमेंट / सभी प्रकार के रैग आदि के निर्माण के लिए एलओपी दिनांक 25 मार्च 2000 के माध्यम से यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल को अनुमोदन प्रदान किया गया था। यूनिट ने 17 जुलाई 2000 को प्रचालन शुरू कर दिया। पांच साल का ब्लाक 16 जुलाई 2005 को समाप्त हो गया। यूनिट के एलओपी की अवधि 31 दिसंबर, 2007 तक पुन: बढ़ाई गई थी। 28 नवंबर 2011 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति, एफएसईजेड के निर्णय की पुष्टि की तथा यह शर्त रखी कि कोई डीटीए लेनदेन अनुमत नहीं होगा।

एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा वर्तमान प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है।

अब विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने पिछले 5 वर्षों के दौरान यूनिट के निष्पादन का ब्यौरा प्रस्तुत किया है (अनुबंध 13)। सिफारिश की गई है कि चूंकि यूनिट ने अभी अभी निर्यात कार्य शुरू किया है इसलिए उनके एलओपी की वैधता अवधि इस शर्त के साथ बढ़ाई जा सकती है कि बकाया किराया चुकता किया जाए जिसके लिए विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा यूनिट को पत्र जारी किए गए हैं।

वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 56.10 : मैसर्स मावेरिक सिस्टम्स लिमिटेड, चेन्नई के संबंध में एसईजेड यूनिट को एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड (अब एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड), वल्लनचेरी गांव, चेंगलपट्टू तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु से डीएलएफ इनफोसिटी डवलपर्स (चेन्नई लिमिटेड), मनपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु के क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड में ट्रांसफर करने / रिलोकेट करने के लिए अनुरोध

मैसर्स मावेरिक सिस्टम्स लिमिटेड, **चेन्नई जो एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड** (**अब एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड**), **वल्लनचेरी गांव**, **चेंगलपट्टू तालुक**, **कांचीपुरम जिला**, **तमिलनाडु की यूनिट है**, **को विकास आयुक्त**, **एसटीपीआई**, **चेन्नई के कार्यालय द्वारा** 1 **अप्रैल,** 2009 **को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने अब डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स** (**चेन्नई लिमिटेड**, **मनपक्कम**, **चेन्नई के क्षेत्र विशिष्ट आईटी** / **आईटीईएस एसईजेड में रिलोकेशन** / **ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है।**

विकास आयुक्त, **एमईपीजेड द्वारा यूनिट के अनुरोध की विस्तार से जांच की गई है तथा अपने निष्कर्ष में विकास आयुक्त**, **एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है** (**अनुबंध** 14)**।**

तदनुसार अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 56.11 : रासायनिक तथा कृषि रासायनिक उत्पादों में ट्रेडिंग के लिए दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अनुरोध

उपर्युक्त फर्म ने आईटीसी (**एचएस**) **अध्याय** 28, 29, 32, 34 **और** 38 **के तहत आने वाले सभी प्रकार के रासायनिक उत्पादों में ट्रेडिंग के लिए दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया जिसमें विशेष रूप से आईटीसी** (**एचएस**) **कोड** 3808 **के तहत आने वाले कृषि रसायन जैसे कि पेस्टीसाइड**, **इंसेक्टीसाइड**, **हर्बीसाइड्स तथा फंगीसाइड्स शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं हैं** (**अनुबंध** 15)**।**

27 **जुलाई,** 2012 **को दाहेज एसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति की** 41**वीं बैठक में परियोजना प्रस्ताव पर चर्चा हुई। समिति द्वारा यह पाया गया कि स्थानीय निकायों से अन्य अनुज्ञप्तियों के अलावा कृषि रासायनिक उत्पादों के आयात के लिए कीटनाशक अधिनियम** 1968 **के तहत केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड** (**सीआईबी**) **से आयात लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एसईजेड नियमावली** 2006 **के नियम** 26 **के परंतुक के अनुसार यदि किसी अन्य कानून के तहत आयात के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी तो उसे अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अनुमत किया जाएगा।**

तदनुसार अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 56.12 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) मल्टी फंक्शनल प्रिंटर एवं डिवाइस के लिए प्रयुक्त कार्ट्रिज का विनिर्माण / रिइंजीनियरिंग करने तथा डीटीए में आपूर्ति करने के लिए अनुमति / अस्वीकृति के विरुद्ध मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील

मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो श्रीपेरंबदूर, **तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं संबद्ध सहायता सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है तथा जो उसी एसईजेड में एक यूनिट का भी प्रचालन करता है**, **ने मल्टी फंक्शनल प्रिंटर एवं डिवाइस के लिए प्रयुक्त कार्ट्रिज की रिइंजीनियरिंग** / **विनिर्माण तथा डीटीए में आपूर्ति के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था।**

26 मार्च 2012 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति (एमईपीजेड जोन में) द्वारा उपर्युक्त अनुमति प्रदान करने से इनकार कर दिया क्योंकि डीटीए में ऐसे उत्पादों की आपूर्ति एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें यह उल्लेख है कि अपशिष्ट / स्क्रैप / अवशेष सहित मरम्मत, रिकंडीशन तथा रिइंजीनियर किए गए सभी माल का निर्यात किया जाएगा तथा डीटीए में कुछ भी बेचा नहीं जाएगा।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के विरुद्ध इस आधार पर वर्तमान अपील (अनुबंध 16) दाखिल की है कि विदेशी ग्राहक ने निर्यात बाजार के लिए मौजूदा एसईजेड यूनिट में मरम्मत के लिए अवसंरचना स्थापित की है तथा निवेश किया है, उनके सेटअप में निष्क्रिय क्षमता का प्रयोग उनके भारतीय मांग के लिए उसी ग्राहक द्वारा किया जाएगा।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 'कैब सेवा' किराए पर लेने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स ईआई डुपोंट सर्विसेज सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे वीएसईजेडजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स ईआई डुपोंट सर्विसेज सेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 'कैब सेवा' किराए पर लेने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। यूनिट के प्रस्ताव को 31 मई 2012 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में रखा गया जहां इसे इसके सदस्यों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध 17) में यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील की है।

23 नवंबर, 2012 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील रखी गई थी परंतु अपीलकर्ता के उपस्थित न होने के कारण आस्थगित कर दिया गया था।

अपील अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए पुन: प्रस्तुत है।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड में लिए गए निर्णय दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 के विरुद्ध मैसर्स मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एमआईडीपीएल) की अपील

मैसर्स मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एमआईडीपीएल) जो ग्राम राखा एवं निमोठ, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, ने डिफाल्ट अधिकृत प्रचालन, सुरक्षा कार्यालय चौकी आदि तथा एसईजेड के अंदर तथा परिधि पर प्रवेश एवं निकास तथा अन्य बिंदुओं के तहत 4 टोयटा इनोवा 2.5 ई डीजल जिसका अनुमानित मूल्य 38,12,360.00 रुपए है, तथा 4 हीरो होंडा पैशन प्लस मोटर साइकल जिसका अनुमानित मूल्य 1,97888.00 रुपए है, और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट की ढुलाई तथा अपशिष्ट सामग्री के निस्तारण के लिए तथा लैंड स्केपिंग एवं जलपिंड के अधिकृत प्रचालन के तहत लैंड स्केपिंग के लिए एक ट्रैक्टर के क्रय के लिए एनएसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति से अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया था।

25 अक्टूबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड ने इस आधार पर विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि साइट पर ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं है।

अपीलकर्ता ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के खिलाफ अपील (अनुबंध 18) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) हमीरपुर, खेतवास, सैदपुर एवं वजीरपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के संबंध में एक साल की अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स रहेजा एसईजेड लिमिटेड की अपील

एलओए दिनांक 18 **अगस्त**, 2007 **के माध्यम से विकासक को** 102 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।** 103.0154 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 10 **मार्च**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक को दो साल का समय विस्तार प्रदान किया गया। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि** 09 **अगस्त**, 2012 **तक वैध थी। विकासक ने** 9 **अगस्त** 2013 **तक वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद अनुरोध किया गया।** 23 **नवंबर**, 2012 **को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया तथा विचार विमर्श के बाद अस्वीकृत कर दिया गया।**

अपीलकर्ता ने अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय के खिलाफ अपील (अनुबंध 19) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

****